MODIFIED IN-SITU UPGRADATION SCHEME FOR PLAIN POWERLOOMS FOR SSI POWERLOOM SECTOR

Technology Up-gradation Fund Scheme (TUFS), introduced on 01.04.1999 intended to address technological obsolescence and to create economies of scale in the Textile Sector. The decentralized powerloom sector has also derived substantial benefits under TUFS for installing shuttleless looms and automatic looms. However, the economically weaker powerloom units in India are still largely Characterized by their technological obsolescence, being unable to invest in brand new modern looms and have been seeking the In-situ modernization plan for upgrading their existing plain powerlooms. This requirement of economically weaker Powerloom units for In-situ upgradation is not addressed under TUFS as (i) minimum benchmark was Automatic Looms(under MTUFS etc) (ii) such low-end plain powerloom owners do not find it feasible to straightaway upgrade to Auto Looms by replacing existing plain looms. Therefore, Government has decided to provide financial assistance to economically weaker plain powerlooms units for up-gradation of their existing ordinary loom, by attachment of additional kits likes Weft stop motion, Warp stop motion, Semi-positive let off motion, Efficient braking device, Anti-crack device, Replacement of metallic parts by self lubricative nylon parts, Dobby, Jacquard, Pirn winding machine and Rapier kit so as to upgrade the plain looms to semi-automatic/shuttleless looms.

I. Objective:

The prime objective of the scheme is to provide financial assistance to economically weaker low-end powerloom units, for upgrading existing plain looms to semi-automatic/ shuttleless looms., to improve quality and productivity of the fabric being produced by way of fixing certain additional attachments/kits and enable them to face the competition in domestic and international markets.

II. Period of Operation of Scheme:

Modified Scheme of In-situ Up-gradation of Plain Powerloom for SSI Powerloom Sector will be in operation from 01.04.2016 to 31.03.2017, or any extended period, thereafter.

III. Eligibility of Unit/Applicant:

a) A Powerloom unit having powerloom permit / Acknowledgement against Information Memorandum issued by Regional Office of the Textile Commissioner for installation of the Powerlooms (or) SSI registration (or) Electricity bill for the unit address/name of the owner are provided, is eligible for assistance under the scheme.

b) Powerloom unit having a maximum 08 (eight) existing plain powerlooms, as per Powerloom Permit / Acknowledgement are only eligible for availing the benefit under the scheme. Priority would be given to units having less than 4 looms.

c) A unit should have electricity bill in it's name or in the name of the owner of the unit/power sharing agreement between lessor and lessee, if the premises is on rent basis.

IV. Attachment(s)/kit(s) for up-gradation of plain powerloom:

The existing plain loom is to be upgraded with following attachment(s)/kit(s) as additional features:

(a) In-situ Up-gradation of Plain Looms to semi-automatic shuttle looms:

(i) Weft stop motion (Optical Weft Feeler)

(ii) Warp stop motion (Electro mechanical warp stop motion for spun yarn or photocell type for filament yarn with loom stopping mechanism).

(iii) Semi-positive let off motion

(iv) Efficient braking device (electro-mechanical).

(v) Anti Crack device.

(vi) Replacement of metallic parts by self-lubricating nylon parts (like shedding roller, picking cams, picking bowl, crank bushes etc. having life more than 2 years)

(vii) Mechanical Dobby (cast iron).

(viii) Jacquard (cast iron).

(ix) Pirn winding machine

(b) In-situ Up-gradation of semi-automatic shuttle looms to shutlleless Rapier looms:

(i) Rapier kit

V. Quantum and Scheme of Subsidy:

The applicant will be eligible for:

(a) For in-situ up-grading the existing plain power looms to Semi automatic shuttle looms

(b) For in-situ up-gradation of existing upgraded semi automatic shuttle looms to shuttleless rapier looms and

(c) For in-situ up-gradation of existing plain power looms directly to shuttleless rapier looms

In each of these in-situ up-gradation, Government of India shall provide financial assistance to the extent of 50%, 75% and 90% of the cost of up-gradation to a maximum subsidy of Rs. 40,000, 60,000 and 72,000 per loom for General, SC and ST category applicants respectively, as shown below:

Category	**Percentage of subsidy**	**Maximum subsidy Amount per loom (in Rupees)**		
		Plain powerloom to semiautomatic shuttle loom (up gradation without rapier kit)	**Semi automatic shuttle loom to shuttleless rapier loom** (Attachment of only Rapier Kit)	**Plain powerloom to shuttleless rapier loom** (Upgradation with Rapier kit)
General	50 %	15,000	25,000	40,000
SC	75 %	22,500	37,500	60,000
ST	90 %	27,000	45,000	72,000

Note:

The maximum ceiling of subsidy per loom is worked out for attachment/ specified kits including pirn winding machine and rapier kits. The detailed bifurcation of the subsidy shall be as shown as per the table given below;

For In-situ Upgradation	Attachments/kit attached	Category	Maximum GOI subsidy/loom
(a) From existing plain power looms to Semi automatic shuttle looms	Weft stop motion, Warp stop motion, Efficient braking device, Semi positive let off motion, Dobby, Jacquard, Self lubricating nylon parts, anti crack device & pirn winding machine.	General	Rs.15,000
		SC	Rs.22,500
		ST	Rs.27,000
(b) From existing upgraded semi automatic shuttle looms already upgraded under In-Situ to shuttleless rapier looms (excluding attachments /kits at (a))	Attachment of rapier kit for powerlooms	General	Rs.25,000
		SC	Rs.37,500
		ST	Rs.45,000
(c) From existing plain power looms directly to shuttleless rapier looms (including attachments) (kits at (a) & (b)).	(i) Weft stop motion, Warp stop motion, Efficient braking device, Semi positive let off motion, Dobby, Jacquard, Self lubricating nylon parts, anti crack device. (ii) Rapier kit	General	Rs.40,000
		SC	Rs.60,000
		ST	Rs.72,000

a) Eligible subsidy under the scheme shall be based on the actual price of the attachments/kits or the maximum rates prescribed by the Textile Commissioner, whichever is less.

b) The Textile Commissioner shall notify the maximum rates for each admissible attachment from time to time.

c) The Textile Commissioner shall from time to time enroll / register the manufactures of the attachments / kits and notify the list of manufacturers of kits/attachments.

d) The indigenous manufacturers/suppliers empanelled/registered under the scheme, who are willing to supply the kits, pirn winding machine and Rapier kits on credit basis to the powerloom weavers/entrepreneurs, will be reimbursed the eligible amount of subsidy into their accounts on successful installation and commissioning of the attachment/kits and certification of the same by concerned weaver. It will be optional for the weaver to avail the credit facility offered.

VI. The attachment/kit(s), on which subsidy has been availed under this scheme, shall not be eligible for any other subsidy provided under any other scheme of Government of India.

VII. Implementation:

a) The scheme will be implemented by the Textile Commissioner through the Regional Offices and Powerloom Service Centers under Textile Commissioner-PSCs & TRA-PSCs/State Govt. Agencies.

b) The applicant will submit an application for 'in-principal approval' in the prescribed format at **Format-I** to the nearest Powerloom Service Center OR the concerned Regional Office of the Textile Commissioner (RO) giving the details of the attachments / kits to be installed.

c) In-principle approval would be granted by concerned Regional Office of the Textile Commissioner, within 21 working days of the receipt of the application and would be intimated to the unit. In principle approval would be valid for a period of 6 months within which weavers are required to install kits/attachments and submit their claims to RO of Textile Commissioner.

d) In-principle approval so granted by the concerned Regional Office of the Textile Commissioner, can be extended for a further period of 3 months, if the units/applicants fail to install the kits specified within the 6 month period due to non-availability of kits or other reasons beyond the control of the applicant and apply for extension of validity of 'in-principle approval' to the Regional Office of Textile Commissioner within 21 working days expiry of the validity.

e) The applicant/unit will acquire the attachments / kits and install the same on the existing Powerlooms. Thereafter, the applicant/unit shall submit the claim for release of financial assistance/subsidy to the respective Powerloom Service Centre / Regional Office of the Textile Commissioner supported with details as per **Format-II** after the kits/ attachments are installed and up-gradation of looms with new attachments is completed.

f) The Regional offices of the Textile Commissioner will depute Joint Inspection Team (JIT) for physical verification of the installation & commissioning of the attachment / kits. The team of JIT will consist of at least three members, including one member from Regional Office of the Textile Commissioner, one member from Powerloom Service Centre and a representative from any of the following organizations which may be present in that Region:

(a) Textile Research Association

(b) Indian Textile Accessories & Machinery Manufacturers' Association (ITAMMA)

(c) Textile Machinery Manufacturers' Association (India) (TMMA)

(d) Textiles Committee

(e) Powerloom Development & Export Promotion Council (PDEXCIL)

The JIT will carry out the physical verification/inspection to confirm satisfactory installation of the attachments / kits and submit a JIT report in Format-III (two copies) duly filled and signed along with all the related documents to concerned Regional Office of the Textile Commissioner. The Officer-in-charge of Regional Office of the Textile Commissioner after

examining the JIT reports, will submit a consolidated proposal to Powerloom Development Cell of Office of the Textile Commissioner, Mumbai for approval of the Competent Authority (Textile Commissioner) for releasing of the subsidy in **Proforma-I,** along with details of individual units and their eligible subsidy in **Format IV** with due recommendation within 45 days from the submission of claim.

VIII. Other Conditions:

a) The subsidy will be provided on the basic value of attachments / kits excluding tax components.

b) The specifications of the attachments / kits necessary for registration shall be prescribed by the Office of the Textile Commissioner.

c) The Textile Commissioner may recover the subsidy amount along with interest, in case it is found / proved that the unit has availed the subsidy by furnishing false information / documents.

IX. Safeguards to ensure benefit flow to genuine applicants:

Engraving / punching / marking of a manufacturer registration No., attachments / kits code no, and the running serial number would be done on each attachment/kits as prescribed from time to time. There would be a ten digit identification code for each attachments / kits. The ten-digit identification code will include the following:

a) The first three digits (000) of the identification code will indicate unique manufacturer registration No. for each manufacturer which has been allotted by the Textile Commissioner at the time of empanelling the manufacturer.

b) The next two digits (00) are to be punched / engraved / marked besides three digit unique manufacturer Registration No. on each attachments / kits. The identification code for the attachments / kits are as under:

c)

Attachments / kits	Code No.
Weft stop motion	01
Warp stop motion	02

Semi-positive let off motion	03
Efficient braking device	04
Anti Crack device	05
Replacement of metallic parts by self-lubricating nylon parts	06
Dobby	07
Jacquard	08
Rapier kit	09
Pirn winding machine	10

d) The next five digits (00000) will indicate running serial number of attachments / kits of that manufacturer produced under the scheme. The five digit running Serial No. for each type of attachments / kits will be given by the respective manufacturer and is to be punched / engraved / marked next to attachments / kits code assigned by the Textile Commissioner.

e) The upgraded loom under the scheme will also be identified by punching / engraving of 'In-principle Registration No.' issued by Regional office of the Textile Commissioner to the applicant unit by the JIT to prevent possibility of duplicate benefits on same loom.

f) Identification marking has to be made in each component at the following places:

(i) In 'Warp Stop Motion' attachment: The identification mark should be engraved/punched on each side of the side bracket

(ii) In 'Weft Stop Motion (Optical Weft Feeler)' attachment : The identification mark should be engraved/punched on Optical Weft Feeler/the sensor box/PCB/PLC panel board.

(iii) In 'Efficient -Braking Device' attachment: The identification mark should be engraved/ punched on the PCB/PLC panel board.

(iv) In 'Self-lubricating Nylon parts' attachment: The packet containing self-lubricating nylon parts would be stamped with indelible ink and packet should be

preserved for JIT inspection. Further individual nylon parts should also carry an identification number.

(v) In 'Semi-positive Let-off Motion' attachment: The identification mark should be engraved/punched on the bracket on which the semi-positive let-off motion is mounted.

(vi) In 'Dobby & Jacquard' attachment: The identification mark should be engraved/punched on the side frame / body of the jacquard.

(vii) In Rapier kits: On Aluminum Sley/Gear box bed.

(viii) In Pirn winding machine: On stand/leg of the machine.

X. Monitoring of the progress of subsidy on attachments

Office of the Textile Commissioner will monitor the progress of the scheme through ROs / PSCs to assess for the impact of the scheme on the beneficiaries. Concurrent evaluation would be carried out to measure the scheme outcome and the same shall be reported to the Ministry of Textiles by the Textile Commissioner.

XI. Grievance:

A Grievance Committee under chairmanship of the Textile Commissioner would attend grievance if any of the beneficiaries, after purchase and installation of the attachments under this scheme.

****

समूह वर्कशेड योजना (जीडब्ल्यूएस) के दिशा-निर्देश

1.0 पृष्ठभूमि

क्लस्टर में विद्युतकरघा इकाइयों संगठित करना तथा अधिक जगह, कार्य माहौल की सुधारित कार्यस्थिति उपलब्ध कराना, वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिये काम की सक्षमता में सुधार के लिए, कार्य कुशलता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार वर्ष 2003 से समूह वर्कशेड योजना के नाम से लोकप्रिय योजना के तहत व नई इकाइयों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, ने 2003 में ग्रुप वर्क शेड योजना शुरू की थी वर्कशेड के निर्माण के लिए रुपये भारत सरकार की रुपये 80 /- प्रति वर्ग फुट की सब्सिडी , इसके बाद सब्सिडी को बढ़ाकर 120 रुपये प्रति वर्ग फुट की गयी और इसके बाद सब्सिडी की दर बढ़ाकर 160 रुपये प्रति वर्ग फुट की गई। वर्कशेड के निर्माण के लिए भारत सरकार की रुपये 300 प्रति वर्ग फुट की सब्सिडी का अंतिम संशोधन 4 फरवरी 2014 को किया गया और 31 मार्च, 2017 तक कार्यान्वित रहेगा।

अब भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक योजना को जारी रखने का फैसला किया है।

1.1 उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा या नए क्लस्टर में शटल लेस करघों के लिये वर्कशेड की स्थापना को सुकर बनाना है, जो व्यापारिक कार्यों के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था प्रदान करेगा।

2.0 परिचालन की अवधि

समूह वर्कशेड योजना 01.04.2017 से 31.03.2020 तक तीन साल की अवधि के लिए परिचालन में रहेगी

3.0 योजना का दायरा

3.1 योजना के तहत वर्कशेड्स में आधुनिक शटल लेस करघों की स्थापना, जैसे कि वार्पिंग, साइज़िंग, ट्विस्टिंग (टू फ़ोर वन ट्विस्टर और थ्री फ़ोर वन ट्विस्टर), टेक्सराइजिंग, परीक्षण प्रयोगशाला और सामान्य सुविधाएं जैसे नमूना प्रदर्शन कक्ष और शयनगृह के निर्माण के लिए आवश्यक जगह शामिल है।

3.2 समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत पात्र क्षेत्र अधिकतम 400 वर्ग फुट तक सीमित होगा, जो एक शटल लेस करघे के कार्य करने के लिये आवश्यक होग, जिसमें कच्चे माल का भंडारण, ग्रे फैब्रिक स्टोरेज, स्टोर और स्पेयर पाट्र्स स्टोरेज, ग्रे फैब्रिक मेंडिंग / फोल्डिंग और पैकिंग, बीम गेईटिंग और प्रशासन / यूटिलिटी / कामगार सुविधा आदि शामिल है। लाभार्थी अपने स्वयं के अंशदान से बडी जगह ले सकता है ।

3.2 लाभार्थी बुनियादी सड़कों के निर्माण के लिए पात्र व्यय के 10% (सीपीडब्ल्यूडी / राज्य पीडब्लूडी की अनुसुचित दरों के अनुसार) की आंतरिक सड़क के निर्माण के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कुल शेड की संख्या 4 (चार) और उससे

अधिक हो और कम से कम एक शेड शटल रहित करघे के साथ या उसके बिना हाउस वीविंग उपकरणों के लिये प्रस्तावित हो ।

3.4 जगह के संदर्भ में वीविंग प्रिपरेटरी जैसे कि वार्पिंग, साइज़िंग, ट्विस्टिंग (टू फ़ोर वन ट्विस्टर और थ्री फ़ोर वन ट्विस्टर), टेक्सराइजिंग, परीक्षण प्रयोगशाला और सामान्य सुविधाएं जैसे नमूना प्रदर्शन कक्ष और शयनगृह के निर्माण के लिए कुल लूमेज़ क्षेत्र के अधिकतम 40% तक अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जायेंगे ।

3.5 शयनगृह / श्रमिकों के आवास के निर्माण के लिए अतिरिक्त सब्सिडी जिसमें प्रति व्यक्ति 1.25 व्यक्ति प्रति व्यक्ति बिजली की सुविधा के लिए पर्याप्त स्वच्छ शौचालय और बाथरूम (स्टोर रूम और डाइनिंग हॉल के साथ रसोई को वैकल्पिक रूप में शामिल किया जा सकता है) को शामिल किया जाएगा। । शयनगृह / श्रमिकों के आवास के लिए प्रति वर्ग फुट सब्सिडी की दर समूह वर्कशेड के लिए लागू प्रति वर्ग फीट सब्सिडी की दर के समान होगी।

3.6 लाभार्थी वस्त्र मंत्रालय के किसी भी अन्य योजना के तहत किसी भी बुनियादी ढांचे के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे, अर्थात एसआईटीपी

4.0 **पात्रता:**

इस योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं: -

4.1 पात्र लाभार्थियों में पावरलूम इकाइयों से जुडे हुए बुनकर तथा उद्यमी शामिल है, जिनमें कुशल बुनकर, पावरलूम बुनकरों की पंजीकृत सहकारी समितियां या कोई भी नया उद्यमी, व्यक्तिगत या समूह में शामिल हैं।

4.2समूह में कम से कम बुनकर/उद्यमी होंगे, जिनका स्वतंत्र विधिक अस्तिव होगा ।230 सेमी चौडाई के कम से कम 24 शटललेस करघे (अथवा) अधिक चौडाई अर्थात 230 सेमी के 16 करघे स्थापित किये जाने चाहिये ।प्रत्येक लाभार्थी के पास कम से कम 4 करघे हों ।

4.3 समूह आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। हालांकि, जहां पर्याप्त लाभार्थी उपलब्ध हैं, सब्सिडी केवल एक समूह में एक परिवार के एक प्रतिनिधि तक ही सीमित होगी।

4.4 "विद्युत करघा इकाई" में, वीविंग प्रिपरेटरी जैसे कि वार्पिंग, साइज़िंग, ट्विस्टिंग (टू फ़ोर वन ट्विस्टर और थ्री फ़ोर वन ट्विस्टर), टेक्सराइजिंग, परीक्षण प्रयोगशाला और सामान्य सुविधाएं जैसे स्टैंड अलोन इकाई सहित नमूना प्रदर्शन कक्ष शामिल है।

.

4.5 इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में केवल टीयूएफएस संगत मशीन स्थापित की जानी हैं। हालांकि, टफ्स सब्सिडी का पूर्व अनुमोदन पूर्व-शर्त नहीं होनी चाहिए.

4.6 इस योजना में एक परियोजना प्रस्ताव के तहत 500 से अधिक करघों की परिकल्पना नहीं की गई है।

5.0 भूमि की खरीद और क्लीयरेंस

5.1 सरकार को परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले ईए के पास स्वामित्व / पट्टे पर लेने के द्वारा जरूरी जमीन पझेशन में होनी चाहिये । अगर ईए द्वारा पट्टे के आधार पर भूमि ली जाती है, तो इसमें न्यूनतम 10 साल की पट्टा अवधि होनी चाहिए और ईए परियोजना प्रस्ताव के साथ पंजीकृत पट्टे का सौदा प्रस्तुत करेगा।

5.2 भूमि औद्योगिक गैर-कृषि और सड़क के पास होनी चाहिए, लेआउट और भवन योजना संबंधित राज्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

6.0 **परिचालन दिशानिर्देश:**

6.1 इस योजना के अंतर्गत परियोजना की स्थापना के लिए एक निष्पादन एजेंसी (ईए के नाम से संदर्भित) जिसमें राज्य सरकार या इसकी एजंसी, पंजीकृत सहकारी सोसायटी या कंपनी अधिनियम 1956 यथासंशोधित के तहत स्थापित एक कंपनी /जैसा कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 यथासंशोधित के तहत विद्युतकरघा मालिकों के समूह(न्यूनतम चार लाभार्थियों) या स्थानीय विद्युतकरघा संघ द्वारा एक फर्म सेट अप शामिल होगा।

इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने के उद्देश्य से मुख्य विशेषताएं दर्शाते हुए ईए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार एक आवेदन प्रस्तुत करे और इसे वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पावरलूम डेवलपमेंट सेल (पीडीसी), वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई को जमा करेगी, जिसकी अग्रिम प्रति पीडीसी को भेज दी जाये । डीपीआर में निम्नलिखित विवरण हों :

• परियोजना के कार्यकारी सारांश

ईए का प्रकार: क्या सरकारी एजेंसी है या सहकारी समिति या एक कंपनी

• भूमि स्थान का विवरण, स्वामित्व की प्रकृति (स्वामित्व / पट्टे पर) और लागत

• प्रत्येक लाभार्थी द्वारा स्थापित होने के लिए प्रस्तावित वर्कशेड और करघों के साथ लाभार्थियों का विवरण

• परियोजना के घटक-वार लागत

• परियोजना वित्त पोषण पैटर्न, ईए, केंद्रीय सरकार और अन्य के शेयरों का उल्लेख, और ऋण

• पीआरटी / सीपीएम के साथ माहवार योजना का उल्लेख करते हुए निर्माण की समय सारणी

• शेड का स्थान, सड़क / पानी की आपूर्ति / बिजली / जल निकासी और अन्य आम सुविधाएं जैसे स्थानों का उल्लेख करते हुए परियोजना क्षेत्र का लेआउट

6.3 उस राज्य में प्रयुक्त सीपीडब्ल्यूडी की निर्धारित दरें आधार के रूप में, योजना के तहत भवन निर्माण के अनुमानित लागत का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जायेंगी।

6.4 लाभार्थी(यों) को वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक -II) के अनुसार लिखित शपथपत्र देना होगा ।

6.5 सब्सिडी का लाभ उठाने वाली विद्युत करघा इकाई सब्सिडी के वितरण की तारीख से कम से कम 3 (तीन) वर्ष की न्यूनतम लॉक-इन अवधि के लिए कार्य करेनी चाहिये।

6.6 परियोजना अनुमोदन समिति (पी ए सी)

इस योजना के तहत सभी परियोजनाओं को अनुमोदन के लिए परियोजना अनुमोदन समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, को प्रस्तुत किया जाएगा, जहां,

भारत सरकार का हिस्सा सहायता रु. 2.00 करोड़ से अधिक है

अध्यक्ष - सचिव (वस्त्र)

सदस्य - एसएस तथा एफए

सदस्य - संयुक्त सचिव (पीएल)

सदस्य - योजना आयोग के प्रतिनिधि

सदस्य सचिव - वस्त्र आयुक्त

भारत सरकार का हिस्सा सहायता रु. 2.00 करोड़ से कम है

अध्यक्ष - वस्त्र आयुक्त

सदस्य - संयुक्त सचिव (पीएल)

सदस्य - आईएफडब्ल्यू के प्रतिनिधि

सदस्य सचिव - अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त / निदेशक

योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति का आकलन / मूल्यांकन हेतु परियोजना अनुमोदन समिति की बैठकें प्रत्येक माह में किंतु तिमाही में कम से कम एक बार हों।

6.7 ईए किसी भी शेड्यूल बैंक में एक एस्क्रू खाता खोलेगा और जीडब्ल्यूएस के लिए सभी भुगतान एस्क्रू खाते के माध्यम से किए जाएंगे, जो संयुक्त रूप से ईए के एक सदस्य द्वारा और वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से एक सदस्य द्वारा संचालित किया जाएगा। एस्क्रू खाता खोलने के बाद, ईए वस्त्र उद्योग आयुक्त कार्यालय के पावरलूम डेवलपमेंट सेल को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार खाता विवरण जमा करेगा।

6.8 पीएसी के परियोजना अनुमोदन की प्राप्ति के बाद, और एस्क्रो अकाउन्ट खोलने के बाद लाभार्थी निर्माण का कार्य आरंभ करेगा। आरंभिक 30% अग्रिम केवल तभी दी जाएगी जब जमीन प्रथम प्रभार या दूसरे प्रभार के रुप में भारत सरकार के पास गिरवी रखी गई है। यदि भूमि गिरवी नहीं है, तो कुल भारत सरकार के हिस्से का आरंभिक 30% हिस्सा आनुपातिक व्यय पर जारी किया जायेगा।

6.9 ईए सब्सिडी जारी करने का दावा वस्त्र आयुक्त को प्रस्तुत करें।

6.10 परियोजना की रुपरेखा में किसी भी बदलाव के मामले में, पीएसी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

2.0 स्थानीय स्तरीय मॉनिटरिंग समिति (एलएलएमसी):

प्रत्येक केंद्र के लिए स्थानीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्थानीय जिला उद्योग केंद्रों का एक अधिकारी, स्थानीय पी / एल संघ और / या संबंधित एफआई / बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पात्र सब्सिडी को वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक- III) के अनुसार एलएलएमसी की वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।

<u>8.0 वित्तीय सहायता और फंडिंग पैटर्न</u>

8.1 इस योजना के तहत निर्माण के लिए सब्सिडी निम्नानुसार होगी: -

सामान्य श्रेणी: समूह वर्कशेड, छात्रावास / श्रमिकों के आवास के निर्माण की इकाई लागत का 40%, अधिकतम 400 रुपये प्रति वर्ग फुटप्रति करघा की दर पर अधिकतम 400/- वर्ग फुट + 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति (छात्रावास / कामगारों के आवास के लिए)

अनुसूचित श्रेणी: समूह वर्कशेड, छात्रावास / श्रमिकों के आवास के निर्माण की इकाई लागत का 75%, अधिकतम 400 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति करघा की दर पर अधिकतम 750/- वर्ग फुट + 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति (छात्रावास / कामगारों के आवास के लिए)

अनुसूचित जन जाति श्रेणी: समूह वर्कशेड, छात्रावास / श्रमिकों के आवास के निर्माण की इकाई लागत का 90%, अधिकतम 900 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति करघा की दर पर अधिकतम 400/- वर्ग फुट + 125 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति (छात्रावास / कामगारों के आवास के लिए)

8.2 प्रत्येक लाभार्थी को आंतरिक सडकों के निर्माण के लिए अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी 22.00 लाख तक सीमित कर दी जाएगी (आधारभूत सुविधाओं के लाभ के लिए सब्सिडी सहित, अर्थात, आंतरिक सड़कों के लिये पात्र व्यय का 10% की सीमा तक (सीपीडब्ल्यूडी / राज्य पीडब्ल्यूडी की अनुसूचित दरों के अनुसार)

9.0 सब्सिडी को जारी करना:

लाभार्थियों को भारत सरकार का हिस्सा जारी करने के लिए निम्नलिखित पद्धति को अपनाया जाएगा:

9.1 पीएसी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के बाद कुल भारत सरकार के हिस्से का 30% हिस्सा अग्रिम में,बशर्ते कि भूमि भारत सरकार को प्रथम प्रभार / दूसरे प्रभार पर गिरवी रखी गई है या निर्माण के लिए ईए द्वारा वहन किए गए आनुपातिक व्यय के बाद जो कि सरकारी वास्तुकार और एलएलएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

9.2 भारत सरकार के कुल हिस्से के 30% हिस्से की दूसरी किश्त पहली किश्त के उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) के बाद जारी की जाएगी और आनुपातिक व्यय के बाद जो कि सरकारी वास्तुकार और एलएलएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

9.3 भारत सरकार के कुल हिस्से के 20% हिस्से की तीसरी किश्त, समूह वर्कशेड के सफलतापुर्वक पूर्ण होने के बाद जारी की जाएगी, निर्माण के लिए ईए द्वारा किए गए आनुपातिक व्यय की प्रति. जो कि सरकारी वास्तुकार और एलएलएमसी द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

9.4 शेष 20% पीएसी द्वारा अनुमोदित मशीनरी की सफल स्थापना और संतोषजनक कार्य के बारे एलएएलएमसी रिपोर्ट को जमा करने के बाद जारी किया जाएगा।

9.5 यदि भूमि गिरवी नहीं है, तो कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा, लेकिन यथानुपात प्रतिपूर्ति 30: 30: 20: 20 के अनुपात में की जाएगी।

10.0 मॉनिटरिंग एवं पुनरीक्षण:

10.1 योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए और लाभ का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, वस्त्र आयुक्त, लाभार्थी से किसी भी दस्तावेज / सूचना के लिए कॉल करेगा, जिसे आवश्यक समझा जा सकता है और आवश्यक होने पर इकाई (इकाइयां) का निरीक्षण कर सकता है। ।

10.2 निर्दिष्ट समय के भीतर वस्त्र आयोग द्वारा मांगे गये किसी भी सूचना / दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए पात्र इकाई की असफलता, समूह वर्क शेड योजना के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायेगा और परियोजना के अनुमोदन रद्द करने, या समयपूर्व रिकाल / लाभ उठाए गए प्रोत्साहनों की त्वरित वसूली, इनमें से जो भी कार्र्वाई उचित लगे, की जायेगी।

11.0 गलत उपयोग के खिलाफ उपाय:

11.1 लाभार्थियों द्वारा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, इस योजना के तहत अनुमोदित सभी मामलों में संपत्ति को प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार पर मोरगेज किया जाएगा, जिसके न करने पर निधि के जारी होने से पहले लाभार्थी प्रपत्र (परिशिष्ट – IV) के अनुसार प्रतिभूति बांड को जारी करेगा ।

11.2 सबसिडी का उपयोग न करने अथवा गलत उपयोग करने पर तथा पी ए सी द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना को पूर्ण होने में देरी के मामले में जारी किया गया निधि निष्पादन एजंसी से प्रति वर्ष 10% के साधारण ब्याज के साथ वसुल किया जायेगा

12.परियोजना पूर्ण होने की समय सीमा:

12.1 पीएसी द्वारा यथा अनुमोदित परियोजना को मंजूरी के पत्राचार की तारीख से 2 वर्षों के भीतर पूरा किया जाएगा।

12.2 ईए के अनुरोध एवं परियोजना के पूर्ण न होने के पर्याप्त कारण के आधार पर के साथ,पीएसी 2 साल की अवधि से अधिक एक साल के लिए समय सीमा का विस्तार कर सकता है, इसमें असफल रहने पर 10% दंड लगाया जाएगा और उसे जारी होने वाली शेष सब्सिडी में समायोजित किया जाएगा ।

***

अनुलग्नक I

समूह वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत सबसिडी के लिए आवेदन

(क) सामान्य विवरण

	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	
	पंजीकृत / प्रशासनिक कार्यालय का पता	
	वर्कशेड का स्थान	
	फोन नंबर	
	फैक्स	
	वेबसाइट	
	ईमेल	
	निष्पादन एजेंसी का प्रकार	राज्य सरकार या इसकी एजेंसी / पंजीकृत सहकारी समिति / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / पावरलूम एसोसिएशन
	क्या ईए कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है	
	पंजीकरण संख्या और दिनांक	

(सी) परियोजना लागत और वित्तपोषण का विवरण

अनु क्र.	मद	वित्तपोषण (रु. लाख)				
		स्वयं का योगदान	केन्द्र सरकार से सब्सिडी	राज्य सरकार से सब्सिडी	वित्तीय संस्थानों से ऋण	कुल
	भूमि					

	वर्कशेड					
	आधारभुत सुविधाएं					
	क) आंतरिक सड़कें					
	ख) बिजली की आपूर्ति					
	ग) जल आपूर्ति					
	घ) ड्रेनेज					
	च)					
	ज)					
	झ)					
	करघे और प्रिपरेटरी मशीनरी					
	कुल					

परियोजना विवरण

	भूमि एकड़ में कुल क्षेत्रफल स्वामित्व की प्रकृति:	 स्वामित्व / पट्टे पर
	वर्कशेड	
	क) करघों के लिए शेड की कुल संख्या प्रिपरेटरी के लिए शेड की कुल संख्या कुल:	
	बी) करघों के लिए कुल क्षेत्रफल वर्ग फ़ूट में प्रिपरेटरी के लिए वर्ग फ़ूट में कुल क्षेत्रफल कुल:	
	सी) प्रति वर्ग फुट निर्माण की लागत	
	आधारभूत सुविधाएं	
	क) आंतरिक सड़कें	
	ख) बिजली की आपूर्ति	
	ग) जल आपूर्ति	
	घ) ड्रेनेज	
	च)	
	ज)	
	झ)	
	करघे और प्रिपरेटरी मशीनरी	
	क) खरीदे जाने वाले प्रस्तावित करघों की संख्या (कृपया करघों के प्रकार भी निर्दिष्ट करें)	

	ख) प्रस्तावित प्रिपरेटरी मशीनरी की संख्या (कृपया मशीनों के प्रकार भी निर्दिष्ट करें)	
	क) उत्पाद प्रोफाइल	
	ख) प्रति करघा /दिन उत्पादन	मीटर्स
	ग) प्रति वर्ष कुल उत्पादन	लाख एमटीआरएस
	घ) प्रतिशत में निर्यात	
	च) प्रति वर्ष कुल कारोबार	`लाख
	छ) प्रति वर्ष उत्पादन की लागत	`लाख
	ज) शुद्ध लाभप्रदता	`लाख
	झ) रोजगार	व्यक्ति

(सी) लाभार्थियों का विवरण

अनु क्र..	लाभार्थी का नाम	लिंग	धर्म	श्रेणी	वर्ग फुट में प्रस्तावित वर्कशेड का क्षेत्रफल	प्रस्तावित मशीनें		खरीदी जाने वाली मशीनों की अनुमानित लागत (लाख रुपए)
						मात्रा	प्रकार	
1								
2								
	कुल							

ध्यान दें:

कृपया उपरोक्त तालिका के निचले भाग में प्रिपरेटरी मशीनरी, यदि कोई हो, स्थापित करने वाले लाभार्थी का विवरण बताएं।

* यदि एक से अधिक लाभार्थी एक शेड बांट रहे हैं, तो उनके नामों को लगातार लिखें और उनके समक्ष संयुक्त रूप से एक शेड को इंगित करें।

कृपया लाभार्थी के लिंग का उल्लेख करें - पु- पुरुष, म- महिला

कृपया लाभार्थी का धर्म - एच - हिंदू, एम - मुस्लिम, एस - सिख, जे - जैन, सी - क्रिस्टन, ओ - अन्य को दर्शाएं।

कृपया लाभार्थी की श्रेणी - अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी / जनरल

(डी) ऋण का रख-रखाव और पुनर्भुगतान के लिए लाभार्थियों द्वारा अपेक्षित वार्षिक योगदान का विवरण

अनु क्र	घटक	राशि (रूपये में.)
1.	रखरखाव / वर्ष की लागत का विवरण	
	ए) वर्कशेड	
	ए) आधारभूत सुविधा बिजली की आपूर्ति पानी की आपूर्ति सड़कों और ड्रेनेज का रखरखाव	

	ए) वाच और वार्ड					
	बी) कुल लागत					
	ग) वर्कशेड का कुल क्षेत्रफल					
	घ) प्रति वर्ष रखरखाव लागत / वर्कशेड क्षेत्र वर्ग मीटर					
2.	<u>कर्ज का भुगतान</u>	वर्ष-1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
	* ए) लिया गया कुल ऋण बी) ब्याज के साथ वार्षिक चुकौती सी) लाभार्थी द्वारा वर्कशेड के प्रत्येक वर्ग फुट क्षेत्र का प्रति वर्ष भुगतान किया जाना है।					

(सी) ऋण की रख-रखाव और पुनर्भुगतान के लिए लाभार्थियों द्वारा अपेक्षित वार्षिक योगदान का विवरण

अनु क्र.	घटक	राशि (रूपये में.)				
1.	रखरखाव / वर्ष की लागत का विवरण					
	ए) वर्कशेड					
	ए) आधारभूत सुविधा बिजली की आपूर्ति पानी की आपूर्ति सड़कों और ड्रेनेज का रखरखाव					
	ए) वाच और वार्ड					
	बी) कुल लागत					
	ग) वर्कशेड का कुल क्षेत्रफल					
	घ) प्रति वर्ष रखरखाव लागत / वर्कशेड क्षेत्र वर्ग मीटर					
2.	<u>कर्ज का भुगतान</u>	वर्ष 1	वर्ष2	वर्ष 3	वर्ष4	वर्ष5
	* ए) लिया गया कुल ऋण बी) ब्याज के साथ वार्षिक चुकौती					

	सी) लाभार्थी द्वारा वर्कशेड के प्रत्येक वर्ग फुट क्षेत्र का प्रति वर्ष भुगतान किया जाना है।					

* यह कार्यक्षेत्र के निर्माण और सामान्य सुविधाओं / बुनियादी ढांचे आदि के विकास के लिए ई ए द्वारा उधार ली गई ऋण राशि है, यदि कोई है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए :

ईए अर्थात्
मैसर्स..... के
समूह वर्कशेड की साइट का दौरा किया, और आवेदक द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को सत्यापित किया और प्रस्ताव की मंजुरी हेतु सिफ़ारिश की जाती है / निम्नलिखित कारणों से सिफारिश नहीं की जाती:

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय, ...

अनुलग्नक-II

<u>जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए</u>

हम, मैसर्स ----------(ई ए)कंपनी अधिनियम,1956/एलएलपी अधिनियम,2008के तहत पंजीकृत कंपनी , एतद्द्वारा शपथ लेते हैं कि वर्क शेड भवन जिसका क्षेत्र ------ वर्गफीट है,जो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा आरंभ की गयी विद्युत करघा क्षेत्र विकास के लिये योजना (एसपीएसडी) के अंतर्गत समूह वर्क शेड योजना (जीडब्ल्यूएस)..... का इस्तेमाल केवल प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) संगत बुनाई और प्रिपरेटरी मशीनरी स्थापित करने के लिए किया जाएगा और इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त कंपनी जीडब्ल्यूएस के तहत सब्सिडी जारी करने तथा कंपनी और अधोहस्ताक्षरी लाभार्थियों द्वारा लाभ उठायी गयी सबसिडी की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए कार्य करेगी ।

अनु क्र..	लाभार्थी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1		प्रबंध निदेशक	
2		निदेशक	
3		निदेशक	
4		निदेशक	

उपरोक्त संकल्प दिनांक ---------- को आयोजित बैठक के दौरान कंपनी द्वारा पारित किया गया है और कंपनी के सभी निदेशकों को समूह वर्क शेड योजना के तहत उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी है ।

दिनांक : नाम :

स्थान : पदनाम:

ई ए का नाम:

ई ए का सील:

<u>अनुलग्नक - III</u>

<u>समूह वर्कशेड की स्थानीय स्तरीय मोनीटरिंग समिति(एलएलएमसी) का रिपोर्टिंग प्रपत्र</u>

अनु क्र.	एलएलएमसी रिपोर्ट का ब्योरा	एलएलएमसी की सिफारिशें
1	समूह वर्कशेड का नाम और पता	
2	एलएलएमसी की तिथि	
3	बैठक का स्थान	
4	एलएलएमसी का चरण	
5	उपस्थित एलएलएमसी सदस्यों के नाम	
6	वर्कशेड की वर्तमान स्थिति	
7	निर्माण किये गये वर्कशेड का क्षेत्र	
8	अब तक की गई वित्तीय प्रगति	
9	चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र	
10	चार्टर्ड एकाउंटेंट सर्टिफिकेट	
11	वर्कशेड का कुल मंजूर क्षेत्रफल	
12	भारत सरकार द्वारा मंजूर सब्सिडी	
13	भारत सरकार द्वारा जारी सब्सिडी	
14	पूर्ण किये गये वर्कशेड का वर्तमान क्षेत्र/निर्माण	

15	पूरे किये गये कार्य का प्रतिशत	
16	प्रस्तावित मशीनरी का विवरण	
17	स्थापित मशीनरी की संख्या	
18	सिफारिश की गई पात्र सब्सिडी	
19	तिथि और समय के साथ फोटो	
20	समग्र टिप्पणियां	

एलएलएमसी सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-IV

सौ रुपये के न्यायिक पेपर पर प्रतिभूति बांड का नमूना

सबसिडी जारी करने से पहले निष्पादित किया जाने वाला निर्धारित बांड

इन सदस्यों द्वारा सभी व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि हम, मैसर्स _____, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत शामिल एक कंपनी / ----------सरकार के सहकारिता सोसायटी अधिनियम के तहत ---------- पंजीकृत सहकारी सोसायटी , जिसका पंजीकृत कार्यालय ---------- पर स्थित है (जिसे इसमें इसके बाद "ओबलाइजर्स" कहा गया है) पूरी तरह से और दृढता से भारत के महामहिम राष्ट्रपति (जिसे इसमें इसके बाद "सरकार" कहा गया है) को रु. ----------(रुपए _____केवल) सरकार द्वारा मांगे जाने पर बिना किसी एतराज के भुगतान के लिये अच्छी तरह से और सही मायने में बाध्य है,जिसके लिये हम दृढ़ता से स्वयं को और हमारे उत्तराधिकारियों एवं वारिसों को एतदद्वारा दृढतापूर्वक बाध्य करते हैं।

वर्ष दो हजार _____में _____ के _____ दिन हस्ताक्षर किए गये।

जहां तक ऑब्लिगर्स के अनुरोध पर, सरकार, वस्त्र आयुक्त कार्यालय , वस्त्र मंत्रालय के दिनांक ---------- के मंजूरी पत्र संख्या ----------के अनुसार, (जिसे इसमें इसके बाद " मंजूरी पत्र " के रूप में संदर्भित) जो इन वारिसों का एक अभिन्न अंग है, और एक प्रतिलिपि जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है और अनुलग्नक- I के रूप में चिह्नित किया गया है, ओबिलिजर्स के पक्ष में निर्धारित मशीनों और बुनाई प्रिपरेटरी मशीनों के निर्माण के उद्देश्य के लिए रु._____ (रुपये _____) की सबसिडी जारी करने के लिए सहमति व्यक्त की गई है,

जिसमें से रु._____ (रुपए _____ केवल) की राशि का (जिसे ओब्लिगर्स स्वीकार करते हैं और प्राप्त करते हैं) को जिसे इसमें इसके बाद उल्लिखित उन नियमों और शर्तों पर बांड निष्पादित करने की शर्त पर भुगतान किया गया है जिसके लिए ओब्लिगर्स सहमत हुए हैं।

अब उपरोक्त दायित्वों की शर्तें ऐसी हैं कि यदि ओब्लिगर्स ने मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन किया तो ऊपर लिखित बॉन्ड व्यर्थ एवं प्रभाव शून्य होगा। लेकिन अन्यथा, यह संपूर्ण प्रभावी रहेगा। ओब्लिगर्स को लक्ष्य तिथियों द्वारा सबसिडी की शर्तों और निबंधनों का पालन करना होगा, यदि इसमें कोई निर्दिष्ट की गयी हो।

यह कि ओब्लिगर अनुदान को डाइवर्ट नहीं करेगा तथा योजना के निष्पादन का कार्य या उससे संबंधित कार्य अन्य संस्थान(नों) या संगठनों(नों) को नहीं सौंपेगा ।

यह ओब्लिगर इस करार में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेगा और शर्तों के पालन या बांड के उल्लंघन का पालन करने में विफल होने की स्थिति में, ओब्लिगर्स और ज़मानती व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से अनुदान की पूरी राशि उस पर 10% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ भारत के राष्ट्रपति को वापस लौटाने के लिए उत्तरदायी होगा । अगर अनुदान का एक हिस्सा उस अवधि की समाप्ति के बाद खर्च नहीं हुआ है जिसके भीतर इसे

खर्च करने की आवश्यकता है, तो 10% प्रतिवर्ष ब्याज सरकार को लौटाने की तारीख तक प्रभारित किया जाएगा, जब तक कि इसे कैरी ओवर करने की अनुमति नहीं मिलती।

ओब्लिगर्स भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय या प्रशासनिक प्रमुख द्वारा अनुमोदित अनुदान से बड़े पैमाने पर निर्मित/ अधिग्रहित भवन के अनधिकृत उपयोग(जैसे कि प्रोपर्टी को जिस उद्द्येश्य से अनुदान दिया गया उससे भिन्न उद्द्येश्य के लिये परिसर का पर्याप्त या उससे कम विचार या उपयोग पर छोड़ देना) के माध्यम से प्राप्त या व्युत्पन्न सभी ऐसे वित्तीय अथवा अन्य लाभों के मौद्रिक मूल्य को सौंपने / भुगतान करने के लिये सहमत तथा बाध्य हैं सरकार को सौंपने / भुगतान किये जाने वाले मौद्रिक मूल्य के संबंध में, परियोजना अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा और ओब्लिगर्स पर बाध्यकारी होगा।

और ये वारिस निम्न के लिये भी साक्षी है कि,

i) क्या मंजूरी पत्र में उल्लिखित किसी भी नियम या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इस प्रश्न पर भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय के सचिव का निर्णय ओब्लिगर्स पर अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा;

ii) सरकार इन वारिसों पर देय स्टांप शुल्क देगी।

जिसको साक्षी मानकर इन वारिसों ने निम्नानुसार शासी निकाय द्वारा अनुमोदित संकल्प सं ._____ दिनांक दिनांक _____ के संकल्प के अनुसरण में इसमें उल्लिखित उपरोक्त दिन ओबिलिगर्स की तरफ से निष्पादित किया गया है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न की गयी है तथा ज़मानतदारों की ओर से _____ तक और नीचे दिए गए तिथि पर राष्ट्रपति की ओर से:
-

के लिये

_____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए

(ओबलिगर का नाम)

1. गवाह के हस्ताक्षर 2. गवाह के हस्ताक्षर

नाम और पता नाम और पता

---------- ----------

---------- - ----------

वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा भरा जाए

(स्वीकार किए जाते हैं)

भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा के लिए

पदनाम _____

तारीख:_____